मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / एफ 03-41/2017/26-2 भोपाल, दिनांक 23/12/2017

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर म.प्र
2. समस्त संयुक्त / उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग म.प्र.

विषय– **"समाधान एक दिन–तत्काल सेवा"** व्यवस्था के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के लिये सिविल सेवा प्रोत्साहन स्वीकृत करने विषयक।

1. सेवा का उद्देश्य– तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से एक दिवस में निःशक्त व्यक्तियों के लिये सिविल सेवा प्रोत्साहन स्वीकृत करने विभाग द्वारा प्रदाय किया जा रहा है।

2. पदाभिहित अधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा –

जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा 1 दिवस

3. पात्रता के मापदंड –

1. निःशक्त अभ्यर्थी मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 की धारा–2 में वर्णित परिभाषा अनुसार 40 या उससे अधिक निःशक्तता हो।
3. प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 6 माह के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

4. आवश्यक दस्तावेज एवं परीक्षण की प्रक्रिया–

क्र.	आवश्यक दस्तावेज	परीक्षण की प्रकिया
1	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 40 या उससे अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर अथवा स्पर्श पोर्टल **(sparsh.samagra.gov.in)** से
2	प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर, आयोग का पत्र एवं अंकसूची की प्रति। (प्रथम बार आवेदन पर)	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर
3	मुख्य परीक्षा में सफल होने पर, आयोग का पत्र एवं अंकसूची की प्रति। (द्वितीय बार आवेदन पर)	आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर